RIGHT TO INFORMATION

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/DR-HCIND/2256 Indore, Dated 09-10-2017

प्रेषक :

डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर

प्रति :

श्री श्याम गोमे पिता श्री रामप्रसाद गोमे,
उम्र 52 वर्ष,
व्यवसायः व्यापार,
पताः 10, सुख शांती नगर,
इन्दौर (म0प्र0)

विषयः– आपके व्दारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 में प्रस्तुत सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन आई0डी0कमांक 43/2017–17 के निरस्तीकरण बाबद ।

उपरोक्त विषय में आपके व्दारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 आवेदन–पत्र दिनाँक 22–09–2017 जिसे आई0डी0कमांक 43/2017–18 पर दिनाँक 22–09–2017 को पंजीकतृ किया गया था एवं जिसके व्दारा आपने श्री अनिल नेगी, जमादर, म0प्र0उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर से संबंधित जानकारी "अनिल नेगी पिता दानसिंग नेगी पद जमादार इन्दौर खण्डपीठ नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक वेतन भत्ते के रूप में कितना भुगतान हुआ है कि प्रमाणित प्रति मय सत्यापन के प्रदान करने की कृपा करे मांगी थी"।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 8(1)(जे) व धारा 11 के अनुसार उपरोक्त जानकारी श्री अनिल नेगी की व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित प्रतीत होने व जिसके प्रकट करने का किसी लोक कियाकलाप या हित से सम्बन्ध प्रतीत नहीं होने से श्री अनिल नेगी को इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देना व उन्हें प्रस्तावित प्रकटन के विरूध्द अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाने हेतु श्री अनिल नेगी को सूचना–पत्र जारी किया गया था व उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे दिनाँक 04–10–17 को या इसके पूर्व व्यक्तिगत रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर या तो उनसे संबंधित उपरोक्त व्यक्तिगत जानकारी आप श्री श्याम गोमे को देने बाबद अनापत्ति प्रस्तुत करे या प्रस्तावित प्रकटन के विरूध्द अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जिसके पालन में श्री अनिल नेगी ने व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनाँक 23–09–2017 को उपस्थित होकर मौखिक रूप से व लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए उनसे संबंधित व्यक्तिगत सूचना जो कि उनकी निजी व गोपनीय जानकारी हैं उसे आपको प्रदान नहीं किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रकटन के विरूध्द कड़ी आपत्ति लेकर निवेदन किया था कि उनकी व्यक्तिगत एवं गोपनीय जानकारी प्रदान नहीं की जावे क्योंकि उपरोक्त सूचना व्यापक लोकहित में भी नहीं हैं, तथा उन्होनें आपके व्दारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने बाबद प्रार्थना की थी ।

-2-

तत्पश्चात् सूचना के अधिकार,2005 में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए आपको दिनॉंक 04-10-2017 को आमंत्रित किया गया एवं श्री अनिल नेगी ब्दारा दिनॉंक 23-09-2017 को मौखिक रूप से ली गई कड़ी आपत्ति के संबंध में बताया गया व उनके ब्दारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन व आपत्ति की प्रतिलिपि प्रदान कर अवसर दिया गया तथा आपको दिनॉंक 04-10-2017 तक का समय इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आप श्री अनिल नेगी से संबंधित उनकी निजी व गोपनीय जानकारी जो कि व्यापक लोकहित में भी प्रतीत नहीं होती है, क्यों चाहते है इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर बताए व लिखित में जवाब प्रस्तुत करे एवं ऐसा नहीं करते हैं तो मामलें में एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी ।

उपरोक्त सूचना पत्र के पालन में आप दिनॉंक 04-10-2017 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए तथा उक्त सबंध में जवाब देने हेतु 2 दिन का समय देने का निवेदन किया । अतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने आपको 2 दिन का समय प्रदान कर दिनांक 06.10.2017 को आपके जवाब के सबंध में नियत किया गया तथा यह भी सूचित किया गया कि अगर आप उक्त दिनांक को अनुपस्थित हुए तो आपके आवेदन में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

चूंकि आप उक्त दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हुए तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपके आवेदन को निरस्थ किया जा रहा हैं।

आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि आप इस विनिश्चय के विरूध्द आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, अपीलीय अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के हकदार हैं ।

(राजेश कुमार शर्मा) 09.10.17
लोक सूचना अधिकारी सह डिप्टी रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर